

महिला सशक्तिकरण एवं कानून की वर्तमान प्रासंगिकता

डॉ. ज्योति दिवाकर,
सहायक प्राध्यापक (विधि),
शासकीय श्रीमंत माधव राव सिंधिया
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

प्रस्तावना:-

नारी जीवन का आधार है, क्योंकि नारी से ही जीवन संभव है, नारी के बिना इस संसार की कल्पना करना भी असंभव है। प्राचीन काल से ही हमारे भारतीय समाज में नारी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है देवी का स्थान होने के बावजूद भारतीय समाज में रूढ़िगत सोच और आधुनिकता के उन्मेष के कारण नारी का शोषण होता रहा है। सदैव से यातना और शोषण की शिकार रही महिलाओं के उन्नयन हेतु विश्व स्तर पर पहली बार संगठित प्रयास 1903 में अमेरिका में वूमेन ट्रेड यूनियन के गठन के साथ शुरू हुआ। 1910 में अमेरिका में महिला दिवस मनाये जाने का मुद्दा उठाया गया शुरू में विभिन्न देशों में अलग अलग तिथियों को महिला दिवस मनाया जाता था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाद में इसके लिए 8 मार्च की तिथि घोषित की गयी, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा के साथ ही महिलाओं के लिए विश्व स्तर पर समानता की बात उठी, महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने तथा लिंग भेद समाप्त करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार सम्बन्धी घोषणा ने प्रेरक का काम किया। 1960 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में वृद्धि करने की घोषणा को स्वीकृति प्रदान की गयी। जिसके जरिए नारी शक्ति को अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। महिला दिवस मनाने का मूल उद्देश्य महिलाओं को कुरीतियों के मद्दधार से निकालकर उसे विकसित, परिष्कृत और सुसंस्कृत करना है। इसका उद्देश्य न केवल खुद को सशक्त करना है बल्कि एक शक्तिशाली समाज के निर्माण में भरपूर योगदान करना है क्योंकि महिला समाज का स्तंभ होती हैं।

महिला सशक्तिकरण पर एक नज़र:-

साधारण शब्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अपनी जिंदगी का फैसला करने की स्वतंत्रता देना या उनमें ऐसी क्षमताएं पैदा करना ताकि वे समाज में अपना सही स्थान स्थापित कर सकें। 1985 में नैरोबी¹ में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को परिभाषित किया गया, महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है 'महिलाओं की पुरुषों के बराबर वैधानिक

राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता है।

सामाजिक असमानता पारिवारिक हिंसा और अत्याचार, आर्थिक अनिर्भरता अगर इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है तो जरूरी है महिला सशक्तिकरण जब तक महिला अपने अंतर्मन में यह विचार विकसित न कर ले कि “ मैं सक्षम हूँ ” खुद को यकीन दिलाना कि वह आत्मनिर्भर है वही महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण एक गतिशील व बहुपक्षीय प्रक्रिया है ² जिसके द्वारा महिलाओं के जीवन में प्रत्येक पक्ष में अपनी शक्ति व पहचान की अनुभूति होती है सशक्तिकरण को सबसे सरल रूप में पुरुष प्रभुत्व की विचारधारा को चुनौती देने वाली से परिभाषित किया जा सकता है सिर्फ सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर आयु वर्ग की महिलाओं में अपने जीवन के निर्णय लेने की क्षमता तथा विश्वास पैदा करने के योग्य बनाता है।

महिलाओं की स्थिति: वर्तमान परिदृश्य

हाल ही में फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी सना मरीन जो सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि औरतें अपने अस्तित्व के लिए आज भी जद्दोजहद कर रही हैं। आजादी के 72 सालों बाद भी उच्च एवं संपन्न वर्ग सहित लाखों घरों में स्त्रियों यौन शोषण, महिला हिंसा जैसे अपराधों से निपटने के दंड विधान को कठोर बनाने के बावजूद भारत में ऐसे अपराधों में कमी नहीं आई है। यह बात स्पष्ट है कि बात ना कानून से बनेगी, ना सिर्फ ³ अभियानों से और न महज औपचारिक पढ़ाई से, आरक्षण सशक्तिकरण का असल उपाय नहीं है क्योंकि पढ़ाई में प्रमाण-पत्र, पद और प्रतिद्वंद्विता की दौड़ में आगे निकल जाने के लिए ताकत देना मात्र ही नारी सशक्तिकरण नहीं है। भारत में दुनिया के मुकाबले मातृत्व मृत्यु दर काफी ज्यादा है वहीं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के स्वास्थ्य की अहमियत काफी कम है। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर डॉक्टर और दवाइयां हों तो कई जानें बचाई जा सकती हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर हमारे जीडीपी का मात्र 2% खर्च किया जाता है। 27% लड़कियों की शादी 18 की उम्र से पहले हो जाती है जो उन्हें पितृसत्ता का शिकार बनाती है। महिलाओं को रोजगार मिल सके यह सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए पर बजट 2020 में इसे जगह ही नहीं दी गयी।⁴

हमारे देश का वर्ल्ड इकनोमिक फोरम की जेंडर गैप स्केल ⁵ पर 5 अंक से फिसलकर 112 पर आ जाना हैरानी की बात नहीं है। भारत में महिलाएं पुरुषों से 19 परसेंट कम कमाती हैं। मॉन्सटर सैलेरी ⁶ इंडेक्स सर्वे की मानें तो उनके और पुरुषों के बीच आए गैप 1 साल पहले तक 20 परसेंट था जो 2018 में महज एक परसेंट घटा है। 2017 में वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 25.9 % रही। यह सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले निचले 10 देशों में शामिल है। एनएसएसओ (NSSO)⁷ के डाटा के मुताबिक वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी गिरकर 23.3% पर आ गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में इसरो में 20% महिलाएं हैं जिनमें 12% वैज्ञानिक या टेक्निकल रोल में है। इस कमी की वजह है हमारे देश में लड़कियों का विज्ञान और खासकर तकनीकी में रुचि न लेना। देश में 23 आईआईटी है जहां सिर्फ 8%

छात्राएं पढ़ती हैं पारंपरिक तौर पर सोचा जाता है कि टेक्निकल काम औरतों के लिए नहीं होते क्या वजह है कि स्कूल और कॉलेज की परीक्षा में अब्बल आने वाली बेटियां अचानक से अदृश्य हो जाती हैं एक बड़ा कारण शादी और महिला असुरक्षा, मातृत्व भी है। देश में महिलाओं की स्थिति को समझने के लिए सर्वे एक अहम जरिया हो सकते हैं खासकर तब तक जब तक महिला सशक्तिकरण के मसले पर नए कानून और भाषा गढ़ी जा रही है⁸ छेड़छाड़ जैसे कम खतरनाक सुनाई देने वाले शब्दों को अब और ज्यादा सटीक तौर पर यौन उत्पीड़न कहा जाता है पर क्या नाम बदल देने से उसके पीछे की हकीकत कम हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण एवं कानून की वर्तमान प्रासंगिकता में महिलाओं के प्रति हिंसा अनेक कानून, अधिनियम के बनने पर भी स्थिति अनियंत्रित बनी हुई है⁹ महिलाओं के प्रति लगभग 1/3 अपराध परिवारों के अंदर, परिवार के सदस्यों द्वारा घटित होते हैं जिनका कानूनी निदान लगभग असंभव हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (2019) के मुताबिक नाबालिग बच्चियों के साथ यौन हिंसा 2012 में 8541 थी जो 2019 में बढ़कर 20000 से भी ज्यादा हो गया है। जब भी देश में इस तरह की हिंसा होती है तो सरकार के सामान्य प्रतिक्रिया आती है। सरकार पर कानूनी कार्रवाई और दुष्कर्म के खिलाफ कानून को कठोर बनाने का दबाव पड़ता है। 1972 में मथुरा दुष्कर्म मामले के चलते क्रिमिनल लॉ एक्ट 1983 में संशोधन किया गया। 1992 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ दुष्कर्म के चलते विशाखा गाइडलाइन बनाई गयी, जिसमें कार्य स्थल पर शारीरिक शोषण के खिलाफ कानून बना। 2013 में लाया गया 1 हजार करोड़ का निर्भया फंड¹⁰ आज भी मंत्रालय की अंदरूनी खींचतान में उलझा हुआ है। महिला बाल विकास मंत्रालय का खर्च आज भी उन्हें मिलने वाले बजट से कम है यहां तक कि राष्ट्रीय मिशन स्कीम का फंड भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं सरकारी योजनाएं:-

महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने तथा महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक व्यवस्थाओं का विवरण इस प्रकार है -

अनुच्छेद 14- संविधान के इस अनुच्छेद में राज्य द्वारा व्यक्ति को विधि के समक्ष समता तथा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को दिया गया है।¹¹

अनुच्छेद 15- इस अनुच्छेद में निर्देश दिए गए हैं कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश इत्यादि आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।¹⁵⁽³⁾ में कहा गया है कि राज्य द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के हित में बनाया गया कोई भी कानून इस अनुच्छेद के विरुद्ध नहीं माना जाएगा।¹²

अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन में पुरुष तथा महिला को समान अवसर दिए जाने के निर्देश हैं यह अनुच्छेद यह भी कहता है कि समान कार्य समान वेतन होना चाहिए।¹³

अनुच्छेद- 23-24- यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि नारीशोषण, बलात् श्रम, महिलाओं के क्रय-विक्रय आदि पर रोक लगाए जाने का निर्देश है।¹⁴

यह सभी अनुच्छेद संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार हैं जो देश के नागरिकों और अनागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त नीति निर्देशक तत्व संविधान भाग 4 में महिलाओं के संरक्षण हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है।

अनुच्छेद- 39- इसमें कहा गया है कि राज्य ऐसी नीति का निर्माण करें जिसमें स्त्री-पुरुष दोनों की जीवन निर्वाह की स्थितियां बने तथा समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके।¹⁵

अनुच्छेद-42- इस अनुच्छेद में राज्य को ऐसी व्यवस्था करने का निर्देश है जिसमें महिलाओं को प्रसूति काल में वें सुविधाएं मिल सके जो मानवीय आधार पर हो।¹⁶ 42 वें संशोधन द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51(क) ड. 17 भाग जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके अतिरिक्त इस खंड के अन्य अनुच्छेदों में जो भी निर्देश दिए गए हैं सभी में राज्य से यह अपेक्षा की गयी है कि वह उनके अनुपालन में जो भी कानून बनाएगा वह स्त्री तथा पुरुष दोनों के सामान्य हित में होगा तथा समता पर आधारित समाज की स्थापना में सहायक होगा।

73वां एवं 74 वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया, इस संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में क्रमशः अनुच्छेद 243 (घ) अनुच्छेद 243(न) ¹⁸ द्वारा आरक्षित तथा अनारक्षित वर्ग की महिलाओं हेतु 33% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

इसके लिए समय-समय पर कई कानून पारित किये गए जिनमें प्रमुख हैं हिन्दू विवाह अधिनियम-1955, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम- 1956, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम- 1956, दहेज निषेध अधिनियम- 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम- 1961, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम-1990, घरेलू हिंसा अधिनियम-2005, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न निषेध अधिनियम- 2013 आदि। सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रमुख योजनाएं हैं - बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्वला योजना, महिला स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम, सुकन्या समृद्धि योजना, वन स्टाप सेंटर, महिला शक्ति केंद्र आदि प्रमुख योजनाएं हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया वाक्य- "लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना आवश्यक है"। इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति सचेत होना पड़ेगा जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है इस पर उन्हें सकारात्मक सोचने की आवश्यकता है महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता देने की जरूरत है ताकि वह अपने निर्णय खुद ले सकें। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज को उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाली सोच को मारना जरूरी है¹⁹ जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूणहत्या, बलात्कार, वेश्यावृत्ति मानवतस्करी आदि |

निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्तमान परिदृश्य में भारत के हर क्षेत्र में महिलायें आगे बढ़ रही हैं। संविधान सरकार से लेकर सामाजिक संगठन तक में महिला सशक्तिकरण की बात होती है लेकिन महिला सशक्त नहीं हो पाई है। यह सच है कि महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं जब तक हमारे समाज के पुरुष प्रधान रवैये से यह सोच पैदा ना हो जाए कि महिला भी पुरुषों से कम नहीं है साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा और अपनी कार्य क्षमता से अपनी शक्ति को खुद के सशक्त होने का परिचय देना होगा। समाज का संतुलित विकास नारी के सशक्त होने पर ही संभव है। सच यह है महिलाओं का उत्थान एक महिला के लिए नहीं बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज के विकास के लिए आवश्यक है।

भारत में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति के प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद से महिलाओं संबंधी कानून के क्षेत्र में मिश्रित कार्यवाही की गई जहां तक महिलाओं के सिविल अधिकारों का संबंध है अभी भी परंपराओं और प्रथाओं की विविधताओं के अनुसार ही निर्णय लिए जाते हैं वर्तमान समाज में महिलाएं अत्याधिक शोषित रही हैं निःसंदेह महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। पर कुछ पहलु को अनदेखा किया जा रहा है। पहला महिलाओं को अपने अधिकारों संबंधित जागरूकता की कमी, दूसरा महिलाओं की तुलना में पुरुषों की श्रेष्ठता की स्वीकृति, तीसरा धार्मिक मूल्यों और संस्कारों की आड़ में महिलाओं के ऊपर हिंसात्मक व्यवहार। देश में चल रही बराबरी की होड़ के बीच भारत का हर क्षेत्र अब बाहें फैलाए बेटियों का स्वागत कर रहा है उम्मीद यह है कि किसी दिन देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान इसरो की प्रमुख एक महिला ही हो। समय है सोच में परिवर्तन लाने का, महिला सशक्तिकरण की ओर कदम बढ़ाने का |.....

सन्दर्भ ग्रन्थसूची:-

- 1.सयुक्त राष्ट्र संघ ने तृतीय विश्व महिला सम्मलेन 26 जुलाई1985 में नैरोबी,केन्या मे आयोजित किया गया |
2. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in>
3. Hindi news 18.com/blog/arur
4. दैनिक भास्कर, जेंडर बजटिंग का लक्ष्य हो महिला सशक्तिकरण, शनिवार, 22 फरवरी 2020 पृ.सं 8
5. द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग 2020
6. मॉन्सटर सैलरी इंडेक्स सर्वे 2019
7. The periodic labour force survey (PLFS) of the national sample survey of office (NSSO) NCW organised a seminar on “Empowering women through Entrepreneurship” in Collaboration with women studies centre, Mizoram University, Aizawl. Feb 19 2020
8. दैनिक भास्कर, क्या दूसरी दुनिया के लिए तैयार है देश? शनिवार, 28 दिसंबर 2019 पृ.सं 8
9. (डॉ सरल गोपाल, “समानता और अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति”, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित नई दिल्ली पेज 337)
10. दैनिक भास्कर, शनिवार 15 जून 2019 पृ.सं 8
11. भारत का संविधान, अनुच्छेद 14(व्यक्ति शब्द में महिला तथा पुरुष दोनों शामिल है)
- 12.अनुच्छेद 15, 15(3)
13. भारत का संविधान, अनुच्छेद 16
14. भारत का संविधान, अनुच्छेद 23-24
15. भारत का संविधान, अनुच्छेद 39
16. भारत का संविधान, अनुच्छेद 42
17. भारत का संविधान, अनुच्छेद 51(क) ड
18. भारत का संविधान, अनुच्छेद 243 (घ) अनुच्छेद 243(न)
19. National commission for women has organised a seminar on “prevention and abolition Of Witch hunting”. With collaboration with centre for women studies, dibrugarh University, Assam, 25 Feb. 2020
20. राज्य गृह मंत्रियों के सम्मलेन की कार्यवाही पर रिपोर्ट, 1 जुलाई राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित, नई दिल्ली, पृ.सं 59